भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE

(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/71/17/ 3193
SPMCIL/VIG/71/17/

दिनांक:07.09.2017
Date: 07.09.2017

परिपत्र संख्या 14/17/CIRCULAR NO. 14/17

विषय/Sub: भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आश्रितों की घोषणा के संबंध मे| Regarding declaration of dependents by SPMCIL officers and employees.

सतर्कता विभाग द्वारा एक शिकायत के जाँच के दौरान यह पाया गया है कि भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के एक कार्यपालक ने अपने माता-पिता को अपने सेवा संबंधी अभिलेखों मे आश्रित घोषित कर, अधिकारिक तौर पर चिकित्सा सुविधाओ का लाभ ले रहा था, जबकि उसके माता-पिता उस पर निर्भर नहीं थे, और वास्तव मे आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे थे| इस तरह वह अपने माता-पिता को आश्रित दिखाकर चिकित्सा सुविधाओ के लाभ का दुरुपयोग कर रहा था|

During enquiry of a complaint, Vigilance Department has observed that an official of SPMCIL had been availing the benefits of medical facilities in respect of his parents by showing them as dependent on him in the service records of the office, whereas his parents are not dependent on him and have actually been filing the income-tax returns. In this way he was misusing the benefit of medical facilities for his parents wrongly showing them as dependents.

2. सक्षम प्राधिकारी ने इन अनियमितताओ को गंभीरता से संज्ञान मे लिया है। इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह से आधिकारिक सुविधाओ का दुरुपयोग ना हो, इसका शक्ति से पालन हो।

2. Competent Authority has viewed the above lapses seriously. In this regard, all concerned are hereby advised to strictly adhere and ensure that such facilities may not be misused by any official in future.

शशिभूषण बेहेरा
07/09/17

Continue P-2

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
3. The widest possible publicity should be given to his circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
4. This issues with the approval of Competent Authority.

शशिभूषण बेहेरा
08/09/17

(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि:
1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (तक./मा.सं.)/मु.स.अ.।/Director (Tech/HR)/CVO.
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी/ उप मु.स.अ./Chief Financial Officer/Dy. CVO.
4. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.)।/Addl. GMs (CHO).
5. उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/ /DGM (CHO)
6. मुख्य प्रबंधक (नि.मु.)/Chief Managers (CHO)
7. प्रबंधक (नि.मु.)/Managers (CHO).
8. सभी सतर्कता कार्यपालक (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
9. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.